उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार– 249404
www.ukpsc.gov.in

संख्या : 70 / 60 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा–1 / 2016–17 दिनांक : 16 मई, 2019

विज्ञप्ति

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 428–430 / 2019 में विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के माध्यम से विज्ञापित 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग–समूह 'ग') सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा–2018' के संबंध में दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत परीक्षा के अन्तर्गत **प्रवक्ता–हिन्दी (सामान्य शाखा) के साक्षात्कार दिनांक 01 जून, 2019 से 07 जून, 2019 के मध्य एवं प्रवक्ता–अंग्रेजी (सामान्य शाखा) के साक्षात्कार दिनांक 07 जून, 2019 से 11 जून, 2019 के मध्य** प्रस्तावित हैं। साक्षात्कार हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम दिनांक 11.02.2019 में मा0 आयोग द्वारा सफल घोषित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गये दावों के अनुसार अपने शैक्षिक योग्यता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख साक्षात्कार हेतु पूर्ण रूप से तैयार करना सुनिश्चित करें। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों से वांछित अभिलेखों के संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

अभ्यर्थी नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। उक्त विषयों के अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम एवं तत्संबंधी अन्य सूचनाओं के संबंध में विज्ञप्ति, पृथक से दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

-Sd-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

☎01334–244143

आयोग भवन, हरिद्वार–249404

Website : www.ukpsc.gov.in

संख्या : 71 / 60 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा–1 / 2016–17 **दिनांक :** 16 मई, 2019

कार्यालय द्वारा मांगे जाने / साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों की सूची

अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को अथवा आयोग द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :–

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
3. स्नातक समस्त वर्षों / सेमेस्टरों की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि।
4. परास्नातक समस्त वर्षों / सेमेस्टरों की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि।
5. बी0एड0 की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि अथवा एल0टी0 डिप्लोमा।
6. यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवायोजित हो तो विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC)।
7. स्थाई निवास / आरक्षण की उध्वार्धर (SC, ST, OBC) एवं क्षैतिज (UF, EXS, PH, DFF) श्रेणी के संबंध में प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
8. अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
9. यदि अभ्यर्थी के नाम / पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो, तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) मूल रूप में।
10. एक ही सत्र / वर्ष में एक से अधिक उपाधि / प्रमाण पत्र धारित करने, एक से अधिक कक्षायें उत्तीर्ण करने की स्थिति में उक्त की वैधता के संबंध में कुलसचिव / सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जो कि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त प्रमाण पत्र संदर्भ संख्या सहित एवं कुलसचिव / सक्षम प्राधिकारी की मुहर युक्त होना आवश्यक है।
11. ऐसे अभ्यर्थी जिनका उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 से पूर्व का हो, **उन्हें नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र के साथ** संबंधित तहसील से इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा कि वे प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अन्तर्गत आच्छादित थे।
12. यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक है, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य प्रस्तुत करें।
13. पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।
14. यदि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक एकल विषय से भी किया गया हो, तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
15. अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र / डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं हैं। केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर अभ्यर्थी को सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था **(Examining Body)** ने नियमित प्रमाण–पत्र **(Certificate)** अथवा उपाधि **(Degree)** नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र **(Provisional Certificate)** मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

-SD-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।